

मैं ० पूरन चंद्र भट्ट पुत्र श्री कृष्णा नन्द भट्ट ग्राम व पो० बैडा, तहसील-कपकोट जनपद- बागेश्वर,  
उत्तराखण्ड के पर्यावरण स्वीकृति हेतु दिनांक 26.05.2023 को आयोजित लोक सुनवाई का कार्यवृत्त।

मैं० श्री पूरन चंद्र भट्ट पुत्र श्री कृष्णा नन्द भट्ट ग्राम व पो० बैडा, तहसील-कपकोट जिला-बागेश्वर राखण्ड, सोप स्टोन माईनिंग प्रोडक्ट (2.595 हेक्टेयर क्षेत्रफल) में खनन हेतु प्रस्तावित पर्यावरणीय स्वीकृति के लोक सुनवाई का प्रस्ताव उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मुख्यालय देहरादून के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। प्रस्ताव वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार की पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्रस्तुता-2006 यथासंशोधित के अन्तर्गत आच्छादित है। उक्त पर्यावरणीय स्वीकृति के प्रस्ताव के कम में राज्य बोर्ड जन सुनवाई की सूचना दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण तथा हिन्दुस्तान टाइम्स के दिनों 20.04.2023 के अंक जन सुनवाई की सूचना दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण तथा हिन्दुस्तान टाइम्स के दिनों 20.04.2023 के अंक प्रकाशित करायी गयी थी। उपरोक्त के अनुकम में क्षेत्रीय कार्यालय हल्द्वानी द्वारा लोक सुनवाई से संबंधित रेयोजना प्रस्ताव द्वारा उपलब्ध कराये गये परियोजना से संबंधित ई०आई०ए रिपोर्ट व सारांश की प्रतिया इनसामान्य/इच्छुक संस्था के अवलोकनार्थ, जिलाधिकारी कार्यालय बागेश्वर, जिला पंचायत कार्यालय बागेश्वर, इनप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र बागेश्वर, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद बागेश्वर तथा क्षेत्रीय कार्यालय र्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून को प्राप्त करा दी गयी थी। तदकम में जिलाधिकारी महोदया बागेश्वर की अध्यक्षता में दिनों 26.05.2023 को परियोजना स्थल, ग्राम-बैडा, तहसील-कपकोट जिला-बागेश्वर में लोक सुनवाई का आयोजन किया गया है। लोक सुनवाई में उपस्थित संलग्नानुसार है।

2/23

लोक सुनवाई में सर्वप्रथम उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय हल्द्वानी के डॉ डी०क०जोशी क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा जनसुनवाई में उपस्थित सभी महानुभावों तथा लोक सुनवाई के पैनल में अधिसूचित अध्यक्ष जिलाधिकारी बागेश्वर तथा अन्य उपस्थित अधिकारियों का स्वागत किया तथा परियोजना के संबंध में अवगत कराते हुए अध्यक्ष महोदया से लोक सुनवाई प्रारम्भ करने की अनुमति चाही गयी।

जिलाधिकारी बागेश्वर की अनुमति के उपरान्त लोक सुनवाई की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। तदकम में परियोजना के पर्यावरण सलाहकार संस्था मैसर्स इंडिया ग्लाइकोल्स लिंग के डॉ चक्रेश पाठक द्वारा इकाई का विवरण प्रस्तुत किया गया। प्रस्तावित विवरण प्रस्तुत करते हुये अवगत कराया कि प्रस्तावित परियोजना एक सोप स्टोन खनन प्रस्तुति किया गया है, यह परियोजना लीज क्षेत्र से खड़िया पत्थर के खनन हेतु प्रस्तावित है। यह लीज श्री पूरन चंद्र भट्ट के पक्ष में 25 वर्षों के लिए स्वीकृत की गयी है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली के राजपत्र दिनांक 14.09.2006 एवं यथासंशोधित के अनुसार यह प्रस्तावित खनन परियोजना वर्ग (बी) में विकास, पीने एवं घरेलू उद्देश्यों के लिए है। पानी की उपलब्धता एवं उपयोगिता के आधार पर प्राकृतिक झरनों एवं नदीयों से पूरी की जायेगी। खनन ओपनकास्ट मैकेनाइस्ड पद्यति का उपयोग करके किया जायेगा। जिसमें ड्रिलिंग और ब्लस्टिंग शामिल नहीं है। खड़िया खनन का कोई महत्वपूर्ण प्रभाव उस क्षेत्र के जीव, पर्यावरण पर नहीं पड़ेगा। खड़िया पत्थर के खनन के दौरान उत्पन्न होने वाले प्रभावों को कम करने के लिए उचित पर्यावरण प्रबंधन योजना प्रस्तावित की गयी है। पर्यावरण प्रबंधन कार्यक्रम में जॉच परिणामों की उपयोगिता को दृष्टि में रखते हुये पर्यावरण प्रबंधन कार्यक्रम के उचित क्रियान्वयन के लिए टीम का गठन किया जायेगा तथा पर्यावरण प्रबंधन योजना के अन्तर्गत

✓

विभिन्न मदों यथा धूल नियंत्रण, पानी का छिड़काव, जल/वायु, ध्वनि स्तर अनुश्रवण, वृक्षारोपण तथा रखरखाव व सीईआर मदों में धन राशि आवंटन के संबंध में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि प्रस्तावित खनन कार्य निर्धारित नियमों एवं शर्तों के अनुसार किया जायेगा। परियोजना स्थल तथा परिक्षेत्र में परिवेशीय वायु गुणवत्ता अनुश्रवण, भूगर्भीय जल मृदा तथा ध्वनि स्तर का अनुश्रवण कर नमूने एकत्रण किये गये हैं। विश्लेषण आख्यायें केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप हैं प्रस्तावित खनन से स्थानीय आवादी को रोजगार प्रदान करेगी, परियोजना क्षेत्र में महत्वपूर्ण आर्थिक लाभ उत्पन्न करेंगी तदक्रम में जिलाधिकारी द्वारा पर्यावरण सलाहकार को अपेक्षा की गयी कि वह संशोधित पर्यावरण प्रभाव आंकलन तथा पर्यावरण प्रबंधन योजना रिपोर्ट में शिक्षा के क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं हेतु सीएसआर० मद में धनराशि का प्राविधान करें तथा पृच्छा की गयी कि प्रस्तावित खनन परियोजना के आसपास पानी का श्रोत तो नहीं है एवं उपस्थित जनमानस से अपेक्षा की गयी कि पर्यावरण सलाहकार द्वारा परियोजना के संबंध में दिये गये प्रस्तुतिकरण को आप सब ने सुना होगा, अगर इसके अतिरिक्त भी कोई सुझाव एवं आपत्ति है तो वह दर्ज करा सकते हैं। तदसंबंध में पर्यावरण सलाहकार द्वारा बताया गया कि प्रस्तावित परियोजना के आसपास कोई भी पीने का जल श्रोत नहीं है।


प्रस्तुतीकरण के उपरान्त सोप स्टोन खनन परियोजना के संबंध में उपस्थित समुदाय से सुझाव आपत्तिया एवं टीका टिप्पणी आमंत्रित की गई तथा अवगत कराया गया कि सुझाव, आपत्तिया, टीका टिप्पणी लिखित व मौखिक रूप से प्राप्त की जा सकती है। उपस्थिति जन समुदाय द्वारा प्रस्तुत टीका टिप्पणी व सुझाव का विवरण निम्नवत है।

1. श्री रमेश भट्ट ग्राम व पो० बैडा, तहसील—कपकोट जिला—बागेश्वर— श्री भट्ट द्वारा अवगत कराया गया कि प्रथम समस्या गांव में रोड की है तथा द्वितीय स्वास्थ सुविधाओं एवं तृतीय पलायन की समस्या है। गांव में स्वास्थ सुविधा हेतु कोई भी चिकित्सालय नहीं है तथा प्राथमिक स्कूल जो बहुत पुराना है उसमें अध्यापक/अध्यापिका का व्यवस्था की जानी चाहिये तथा उच्च शिक्षा हेतु गांव में एक इंटर कॉलेज की व्यवस्था की जानी चाहियें। खड़िया खनन परियोजना से स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। खनन परियोजना से हमें कोई आपत्ति नहीं है। जिलाधिकारी महोदया द्वारा गांव में इंटर कॉलेज स्थापित किये जाने हेतु मानकानुरूप छात्र संख्या के संबंध में पृच्छा करने पर संज्ञान में लाया गया कि वर्तमान में गांव में इंटर कॉलेज स्थापित किये जाने हेतु मानकानुरूप छात्र संख्या नहीं है। पलायन की समस्या के संबंध में गांव स्तर में विभिन्न संसाधनों को बढ़ाये जाने, रोजगार के अवसर उत्पन्न करने तथा गांव में बेसिक स्तर की सुविधायें उपलब्ध कराये जाने की सहमति व्यक्त की गई। स्कूलों में अध्यापकों की व्यवस्था के संबंध में अवगत कराया गया कि विद्यालयों में एक निर्धारित अनुपात के आधार पर ही अध्यापकों की व्यवस्था की जाती है परियोजना प्रस्तावक से कहा गया कि शिक्षा के क्षेत्र में सीएसआर मद में आवंटन नहीं किया गया है तथा सीएसआर मद में बच्चों के स्कूल जाने हेतु मार्ग की व्यवस्था एवं रखरखाव का प्राविधान किया जाना चाहियें।
2. श्री ख्याली दत्त जोशी ग्राम व पो० बैडा, तहसील—कपकोट जिला—बागेश्वर— श्री जोशी द्वारा लोक सुनवाई में उपस्थित समस्त लोगों का स्वागत करते हुये अवगत कराया कि गांव में सड़क की व्यवस्था बहुत खराब है। लगभग 17 वर्षों से गांव में 03 किमी० रोड नहीं बन पायी है। गांव में जो आयुर्वेदिक अस्पताल है वहाँ चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं हैं। स्कूलों में अध्यापकों की व्यवस्था करना अति आवश्यक है। जिससे गांव

का विकास हो सके। गांव वालों को रोजगार, पानी, सड़क, शिक्षा स्वारथ की सुविधायें होनी चाहिये तथा जंगली जानवरों से मुक्ति के संबंध में आवश्यक उपाय करने का अनुरोध किया गया।

3. श्री लीलाधर भट्ट ग्राम व पो० बैडा, तहसील-कपकोट जिला-बागेश्वर- श्री भट्ट द्वारा जिलाधिकारी महोदया एवं समस्त उपस्थित जन सभा का स्वागत करते हुये कहा गया कि परियोजना प्रस्तावक श्री पूरन चन्द्र भट्ट द्वारा जो परियोजना गांव में लायी जा रही है उससे गांव के स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे तथा गांव का विकास होगा तथा परियोजना प्रस्तावक से अपेक्षा कि गयी कि गांव का स्तर ऊचा उठाने में सहयोग प्रदान करेंगे। वृक्षारोपण का कार्य भी समय-समय पर कराया जाना चाहिये। जिससे गांव की भूमि हरी भरी रहें। पर्यावरण संबंधी रोजगार का भी गांव में सृजन किया जाना चाहिये। तदकम में जिलाधिकारी महोदय द्वारा कहा गया कि वृक्षारोपण का कार्य एवं संरक्षण स्थानीय लोगों से कराया जाना चाहिये तथा स्थानीय प्रजाति के वृक्षों का रोपण ही किया जाना चाहियें।
4. श्री शेखर जोशी ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ग्राम व पो० बैडा, तहसील-कपकोट जिला-बागेश्वर- श्री जोशी द्वारा जिलाधिकारी महोदया का स्वागत करते हुये कहा कि गांव में बड़े हर्ष एवं गौरव की बात है कि पूरन चन्द्र भट्ट द्वारा गांव में सोप स्टोन परियोजना प्रस्तावित की जा रही है। खनन परियोजना से हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमारे बुजर्ग लोगों ने पहले ही क्षेत्र की समस्या के बारे में अवगत करा दिया गया है। गांव में सड़क की समस्या है, जिसके लिये हमने बहुत संघर्ष किया है तथा स्थानीय प्रशासन द्वारा समय-समय पर सहयोग किया गया। स्थानीय समस्याओं को अवगत कराते हुये प्रस्तावित खनन परियोजना के संबंध में सहमति व्यक्त की गयी है।
5. श्री डॉ हरीश मेहरा ज्येष्ठ ब्लाक प्रमुख विकास खण्ड कपकोट जिला-बागेश्वर- डॉ मेहरा द्वारा जिलाधिकारी महोदया का स्वागत करते हुये कहा गया कि गांव में पलायन बहुत तीव्र गति से हो रहा है। इसके लिए हमें स्वयं ही पहल करनी होगी। गांव में लघु उद्योगों की स्थापना कर निजी क्षेत्र में कार्य कर के अपने आपको आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार कर सकते हैं। हमें खुद मनन एवं चिन्तन करने की आवश्यकता है। प्रस्तावित खनन परियोजना से स्थानीय लोगों का रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे तथा हमारा क्षेत्र भी अन्य क्षेत्रों की भाँति विकसित होगा। गांव के विद्यालयों एवं अस्पताल के रास्तों के संरक्षण हमें जिला खनन न्यास के बजट में आवंटन होना चाहियें।
6. श्री पूरन चन्द्र भट्ट परियोजना प्रस्तावक ग्राम व पो० बैडा, तहसील-कपकोट जिला-बागेश्वर- श्री भट्ट द्वारा कहा गया कि खनन परियोजना में रोजगार में प्राथमिकता गांव वालों को ही दी जायेगी तथा जितना मेरे द्वारा गांव के विकास के लिए प्रयास किया जायेगा वह में करुगा।

जिलाधिकारी द्वारा परियोजना प्रस्ताव से अपेक्षा की गयी कि प्रस्तावित परियोजना में वृक्षों का रोपण स्थानीय महिलाओं द्वारा किया जाय। जिससे रोजगार प्राप्त होगा तथा पौधों का क्य स्थानीय मनरेगा की नर्सरी से किया जाना सुनिश्चित करें।



अन्य सुझाव/आपत्ति व टीका टिप्पणी लिखित व मौखिक रूप से प्राप्त न होने पर उपस्थित जन समुदाय का धन्यवाद व्यक्त करते हुये लोक सुनवाई का समापन किया गया।  
उक्त जन सुनवाई की वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी की गयी है तथा उपस्थित जन समुदाय की उपस्थिति, उपस्थिति रजिस्टर में दर्ज की गयी है।

(डॉ डी०के०जोशी)  
क्षेत्रीय अधिकारी  
उ०प्र०नि०बोर्ड हल्द्वानी।

(अनुराधा पाल)  
जिलाधिकारी  
बागेश्वर।